

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-१

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजरामन्द जिला राजरामन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रेलमारा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोपाथला
व भूअनि. कुका की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमारा / नागव
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोपाथला तहसील रेलमारा व
जिला राजरामन्द की जमावन्दी संवत् २०२२ में खाता संख्या ३३३ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गोपाथला	333	रामा पुत्र हुका कुका	रामलाल पुत्र हुका कुका


सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- पत्र/२०२५/११७
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- ३/१०/२५

1. तहसीलदार रेलमारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।


सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,